

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर


क्रमांक: प.10(क)( )का.भा./डीएलबी/22/ 1708

दिनांक: 21/6/22

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के क्रम में विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01.06.2021 को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम पंचायत रानीवाडा ( जालौर ) के निर्वाचित संरपच/उपसंरपच एवं निर्वाचित वार्ड पंचो को नवगठित नगर पालिका रानीवाडा ( जालौर ) में क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(हृदेश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ड)( )का.भा./डीएलबी/22/ 1709-1724 दिनांक 21/6/22  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, /पंचायती राज. विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज. जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जालौर को भेजकर निवेदन है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित संरपच/उपसंरपच/एवं निर्वाचित वार्ड पंचों के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायिक प्रकरण /वाद /जांच आदि विचाराधीन नहीं होने की स्थिति में नवगठित नगर पालिका में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष /वार्ड सदस्य समझा जावेगा ।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
8. संरपच/उपसंरपच एवं निर्वाचित वार्ड पंच ग्राम पंचायत रानीवाडा ( जालौर )
9. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रानीवाडा ( जालौर )
10. जनसंपर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रकाशन हेतु।
11. प्रभारी मोनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
13. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय माथुर) 21/6  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी